PDF-XChange Product
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

// आदेश //

क्रमांक/ 31 /योजना/अंग्रेजी माध्यम/2022 राजनांदगांव,दिनांक 05/0/20

छ0ग0शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन के आदेश कमांक/एफ 23–08/2020/36/अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 03.07.2020 द्वारा सर्वेश्वर दास शास.उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजनांदगांव के लिए संविदा/प्रतिनियुक्ति भर्ती हेतु पद स्वीकृति फलस्वरूप कार्यालयीन विज्ञापन कमांक/7545/योजना/स्वा.आ.उ.अं.मा.वि./भर्ती/राजनांदगांव, दिनांक 03.09.2021 द्वारा पदवार/विषयवार/संवर्गवार आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था । उक्तानुसार सर्वेश्वर दास शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति राजनांदगांव के निर्देश में नामांकित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर संविदा हेतु चयनित अभ्यर्थी को सर्वेश्वर दास शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजनांदगांव के लिये उनके नाम के सम्मुख पदनाम, विषय एवं माध्यम पर निम्न शर्तो के अधीन संविदा नियुक्ति प्रदान किया जाता है।

क	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	संवर्ग	विषय	माध्यम	पता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री लोकेश कुमार वैष्णव	श्री ललित कुमार वैष्णव	सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला	अनारक्षित	विज्ञान	अंग्रेजी	ग्राम–खेड़ा, पोस्ट–खेड़ा, तहसील–नवागढ़ जिला–बेमेतरा पिन कोड 491340

–: नियम एवं शर्ते :–

1. संविदा नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई है। शासन द्वारा यदि उक्त शाला में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है अथवा चयनित कर्मचारी द्वारा किये गये कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय समिति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है।
2. संविदा नियुक्ति पर 25300/–रू. (शब्दो में– पच्चीस हजार तीन सौ रूपये मात्र एकमुश्त वेतन की पात्रता होगी। अन्य किसी प्रकार के अतिरिक्त विशेष भत्ता, महंगाई भत्ता, क्षर्तिपूर्ति भत्ता, गृह भाडा की पात्रता नहीं होगी।
3. संबंधित कर्मचारी को दिनांक 17/05/2022 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। नियत तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति मे आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
4. संविदा नियुक्ति 30 अप्रैल 2023 तक के लिये होगी। कार्य मूल्याकंन एवं निष्पादन पत्रक के आधार पर संतोषप्रद पाये जाने पर एवं शासन से पद निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति पुनः बढाई जा सकती है।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को छ0ग0शासन सामान्य प्रशासन विभाग संविदा नियुक्ति में दिये गये नियमानुसार अवकाश की पात्रता होगी। संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 18 दिनो के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिये आनुपातिक आधार पर की जायेगी।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ सिविल सेवा (आचरण) नियम,1965 से शासित होंगे।
7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को संविदा

PDF-XChange Product
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com